संख्या-88/2017/आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 जून 2017

विषयः- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर के ग्राम व परगना-बानपुर तहसील महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11015/28/2016-ग्रान्ट, दिनांक-17.11.2016 एवं पत्रांक-11015/4(25)/2016-ग्रान्ट, दिनांक-28.03.2017 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-36/103/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-26.04.2017 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"4225-02-796-01-04-24-बृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर में नवीन एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, के भवन निर्माण हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-1335.60 लाख (रूपया तेरह करोड़ पैतिस लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष रूपया-500.00 लाख (रूपया पांच करोड़ मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क्र.स	परियोजना/कार्य का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत लागत	राज्य सरकार के पी.एफ.ए.डी. द्वारा परियोजना के प्रारम्भिक कार्यो हेतु आकलित लागत	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	राज्य स्तर से निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय ललितपुर का भवन निर्माण	1200.00	1552.05	500.00	500.00
	योग	1200.00	1552.05	500.00	500.00

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर नियमानुसार धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बांट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक हो तथा प्रायोजना का निर्माण नवोदय विद्यालय की समिति की गाईड-लाइन के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-स्वीकृत धनराशि का शतप्रतिशत उपभोग कर लेने के बाद ही उपभोग प्रमाण पत्र एवं डिजिटल फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0 100%$रा0%)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-88/2017/आर-1195(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।
3- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- जिलाधिकारी, ललितपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।